FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

SDO मुकाम रेनी

मोहित बनाम [illegible]

नं. ..... सन् .....

कदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
23/11/21	आज यह [illegible] राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में [illegible] पंचायत ....पि.नि.... में दिनांक 24/11/2021 को पेश होने वास्ते तलब होकर [illegible] ....पि.नि.... [illegible] 24/11/21 [illegible] कोर्ट/राजस्व लोक अदालत [illegible] राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत ....पि.नि.... [illegible] हैं। उपखण्ड अधिकारी रेनी जिला अलवर	
24/11/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पिनान में पेश हुई। वकील वादी श्री प्रदीप दीक्षित द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस किया गया। वकील वादी के हस्ताक्षर आर्डर शीट पर भराया गये। अतः प्रकरण नोटप्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौरन शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मर्ति दफ्तर दाखिल हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ....पिनान.... उपखण्ड अधिकारी रेनी (अलवर)	